भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3392

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम में कैंसर के अतिरिक्त अस्पताल की स्थापना

†3392. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का असम में कैंसर के अतिरिक्त अस्पताल और उन्नत कैंसर विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य के सरकारी अस्पतालों में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर निदान सुविधाओं की वर्तमान में कितनी उपलब्धता है;

(ग) क्या धुबरी और आसपास के जिलों के रोगी उपचार के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कैंसर की वहनीय और समय पर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ). स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी- एनसीडी) के अंतर्गत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, जांच, प्रारंभिक निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी प्रोत्साहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एनपी- एनसीडी के तहत, देश भर में 770 ज़िला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, ज़िला अस्पताल स्तर पर कैंसर परिचर्या की सुविधा सुनिश्चित

करने के लिए देश भर में 524 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) कार्यशील हैं, जिनमें से असम राज्य में 06 डीसीसीसी कार्यशील हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 'विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों को सुदृढ़ करने' संबंधी योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, सरकारी मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों या क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है। अब तक देश भर में असम में कैंसर संस्थान के रूप में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गुवाहाटी सहित 39 संस्थानों (19 एससीआईऔर 20 टीसीसीसी) को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का उपचार उपलब्ध है। यह योजना पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और उपचार के लिए किफायती दवाओं और विश्वसनीय इम्प्लांट्स (अमृत) फार्मेसीज, कैंसर की सस्ती दवाओं, स्टेंट और इम्प्लांट्स की उपलब्धता को बेहतर बनाती हैं। इससे उपचार पर होने वाला निजी खर्च कम होता है और लंबे समय तक उपचार जारी रखने में मदद मिलती है।

एनएचएम के तहत,राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल' और निःशुल्क जांच सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और जांच की सुविधा सुनिश्चित करते हैं, जिससे रोगियों का अपनी जेब से होने वाला खर्च कम होता है। एनपी-एनसीडी के तहत ज़िला और उप-मंडल अस्पतालों में कैंसर-रोधी दवाएं आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल हैं।
